गृह मंत्रालय

(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के गठन और प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देश

परिचय

1. राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) (इसके बाद डीएम अधिनियम, 2005) की धारा 48(1)(क) के तहत किया गया है। ये दिशा-निर्देश डीएम एक्ट, 2005 की धारा 62 के तहत जारी किए जा रहे हैं।

लागू होने की अवधि

2.1 ये दिशानिर्देश वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक प्रभावी रहेंगे और अगले आदेश तक जारी रहेंगे।

2.2 पंद्रहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-26 तक की अवधि के लिए राज्यों को राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ) के लिए कुल 1,60,153 करोड़ रुपए के आवंटन की सिफारिश की है। इसके अलावा, एसडीआरएमएफ के लिए कुल राज्य आवंटन को राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) तथा राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) में विभाजित किया गया है जो एक साथ आपदा प्रबंधन संबंधी जरुरतों- मोचन और राहत, रिकवरी और पुनर्निर्माण, तैयारी और क्षमता-निर्माण तथा शमन आदि के पूर्ण चक्र को पूरा करेगा।

2.3 एसडीआरएफ को कुल एसडीआरएमएफ का 80 प्रतिशत प्राप्त होगा, जबकि एसडीएमएफ को आवंटन का 20 प्रतिशत मिलेगा। एसडीआरएफ के भीतर तीन उप-आवंटन होंगे: (i) मोचन और राहत (40 प्रतिशत), (ii) रिकवरी और पुनर्निर्माण (30 प्रतिशत) और (iii) तैयारी और क्षमता-निर्माण (10 प्रतिशत)। एसडीआरएफ और एसडीएमएफ की फंडिंग विंडो अंतर-परिवर्तनीय नहीं हैं, जबकि एसडीआरएफ की तीन उप-विंडो के भीतर पुन: आवंटन के लिए लचीलापन हो सकता है।

2.4 ये दिशा-निर्देश केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाओं के साथ-साथ राज्य विशिष्ट आपदाओं, जिन्हे राज्य सरकारों द्वारा केवल एसडीआरएफ के लिए अधिसूचित किया गया है, के संबंध में तत्काल प्रकृति की मोचन और राहत गतिविधियों के उद्देश्य से, एसडीआरएफ के संचालन और प्रबंधन के लिए हैं । इनके अलावा, एसडीएमएफ और एनडीएमएफ के संबंध में दिशानिर्देश; और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की रिकवरी और पुनर्निर्माण, तैयारी और क्षमता निर्माण, विंडो के लिए, दिशानिर्देश अलग से जारी किए जा रहें हैं।

एसडीआरएफ के अंतर्गत आने वाली आपदाएं

3.1. एसडीआरएफ का उपयोग केवल चक्रवात, सूखे, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने, कीट हमले और पाले और शीत लहर के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के खर्च को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

3.2. राज्य सरकारें उन प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए एसडीआरएफ के वार्षिक आवंटन के 10% तक का उपयोग कर सकती हैं, जिसे वे राज्य में **स्थानीय संदर्भ** में 'आपदा' मानती हैं और जो गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा अधिसूचित आपदाओं की सूची में शामिल नहीं हैं। और ये इस शर्त के अधीन है कि राज्य सरकार ने राज्य विशिष्ट प्राकृतिक आपदाओं को सूचीबद्ध किया है और राज्य प्राधिकरण यानी राज्य कार्यकारिणी समिति (एस.ई.सी) के अनुमोदन से ऐसी आपदाओं के लिए स्पष्ट और पारदर्शी मानदंड और दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं। ऐसी आपदाओं के लिए राज्य द्वारा अधिकतम सीमा से अधिक खर्च की जाने वाली कोई भी राशि उसके अपने संसाधनों से वहन की जाएगी और वह उसी लेखांकन मानदंडों के अधीन होगी।

3.3. राज्य सरकार को अपने राज्य में सूखे का निर्धारण/घोषणा करते समय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार और परिचालित समय-समय पर संशोधित 'सूखा मैनुअल 2016' के दिशा-निर्देशों को अनिवार्य रूप से लागू करना आवश्यक है। सूखे के निर्धारण/घोषणा के लिए अनिवार्य रूप से (क) सूखे संबंधी अधिसूचना (ख) मैनुअल के अनुसार सूखे के आकलन का विवरण (तालिका 3.10) और (ग) गांव-वार क्षेत्र सत्यापन डेटा (पैरा 3.2.6) आदि की आवश्यकता होगी। सूखा मैनुअल, 2016 के पृष्ठ 43-44 के अनुसार सूखे की तीव्रता का आकलन करने के लिए क्षेत्र सत्यापन प्रक्रिया का निष्कर्ष अंतिम आधार होगा।

3.4 इसके अलावा, राज्य सरकारों को राहत प्रदान करने के लिए कमजोर वर्गों में , संकट प्रवास, चारे संबंधी वस्तुओं और चारे तथा कुपोषण के माध्यम से, परिलक्षित समग्र सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य पर विचार करने की आवश्यकता है। सूखे के सभी चरणों, जैसेः बारिश न होना/फसल की कमी/बाजार में आवक आदि, की निगरानी, प्रणाली में ब्लॉक स्तर पर डेटा कैप्चर करके ऑनलाइन पहचाने गए संकेतकों के माध्यम से की जानी चाहिए। अत: राज्य सरकारें राज्य में सूखे के निर्धारण/घोषणा के लिए 'सूखा नियमावली-2016' में उल्लिखित अनिवार्य निर्देश/मापदंडों का अनुपालन करेंगी।

राज्य आपदा मोचन निधि का गठन

4. राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) का गठन सार्वजनिक खाते में "राज्य आपदा मोचन निधि" के नाम से किया जाएगा, जिसका गठन ब्याज वाली रिजर्व फंड के तहत राज्य के खातों में मुख्य शीर्षः 8121-सामान्य और अन्य रिजर्व फंड के तहत किया जाएगा और इन दिशानिर्देशों के पैरा 23-27 के प्रावधानों के अनुसार निवेश किया जाएगा। राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) में 31.03.2021 को अंतिम शेष राशि 2021-22 के लिए प्रारंभिक शेष के रूप में एसडीआरएफ को अंतरित की जाएगी। राज्य सरकार एसडीआरएफ को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशानिर्देशों के तहत ओवरड्राफ्ट पर लागू दर पर ब्याज का भुगतान करेगी। ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर जमा किया जाएगा। राज्य सरकारों से इस आशय का प्रमाणपत्र जारी करने की अपेक्षा की जाती है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48(1)(क) के अनुसार एसडीआरएफ के गठन संबंधी अधिसूचना जारी / लागू कर दी गयी है। इसकी एक प्रति गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी।

निधि में अंशदान

5. 2021-22 से 2025-26 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक राज्य की राज्य आपदा मोचन निधि का कुल आकार 15वें वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार होगा। आपदा प्रबंधन के लिए राज्यवार आवंटन पिछले औसत व्यय, क्षेत्र, जनसंख्या और आपदा जोखिम सूचकांक पद्धति के कारकों पर आधारित है। इस प्रकार, एसडीआरएफ की कुल निधि 2021-22 से 2025-2026 तक की अवधि के लिए 1,28,122.40 करोड़ रुपए है, जिसमें से केंद्र सरकार का हिस्सा 98,080.80 करोड़ रुपए और राज्य सरकारों का हिस्सा 30,041.60 करोड़ रुपए है। एसडीएमएफ के 20% हिस्से को छोड़कर, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का वर्ष-वार हिस्सा, जो पंद्रहवें-वित्त आयोग की रिपोर्ट, खंड 2 के अनुबंध 8.5 के अनुसार है, अनुलग्नक-I में पुनः प्रस्तुत किया गया है। संकेतित एसडीआरएफ के कुल आकार में से, केंद्र सरकार पूर्वोत्तर और हिमालयी (एनईएच) राज्यों जैसे

असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जिसके लिए यह कुल वार्षिक आवंटन का 90 प्रतिशत अंशदान देगा, को छोड़कर सभी राज्यों के लिए एसडीआरएफ की 75 प्रतिशत निधि का अंशदान करेगी। एसडीआरएफ की शेष 25 प्रतिशत निधि का अंशदान,एनईएच राज्यों को छोड़कर, जो 10 प्रतिशत का अंशदान देंगे, संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

6. एसडीआरएफ में केंद्र सरकार के हिस्से का भुगतान सहायता अनुदान के रूप में किया जाएगा और भारत सरकार के खातों, मुख्य शीर्षः "3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान -07 वित्त आयोग अनुदान-104 "राज्य आपदा मोचन निधि के लिए सहायता अनुदान" के हिसाब में लिया जाएगा। राज्य सरकारें इन्हें अपने बजट में प्राप्तियों के रूप में लेंगी और मुख्य शीर्ष "1601-केंद्र सरकार से सहायता अनुदान-07 वित्त आयोग अनुदान-104" राज्य आपदा मोचन निधि के लिए सहायता अनुदान" के तहत लेखे में लेंगी।

7. एसडीआरएफ को योगदान की कुल राशि के हस्तांतरण हेतु (राज्यों के योगदान के अंशदान सहित), राज्य सरकारें अपने बजट के व्यय पक्ष के संबंध में ''मुख्य शीर्षः 2245-प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित राहत-05 राज्य आपदा मोचन निधि-101 आरक्षित निधि और जमा खातों में अंतरण-राज्य आपदा अनुक्रिया निधि" के अंतर्गत उपयुक्त बजट का प्रावधान करेंगी।

7.1 उपर्युक्त पैरा 6 के अनुसार भारत सरकार के हिस्से की प्राप्ति के तुरंत बाद, राज्य अपने हिस्से की राशि सहित , यदि पहले से ही अंतरित नहीं हुई है, तो इसकी प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर लोक लेखा शीर्ष में अंतरित कर देंगे। किसी भी विलंब के लिए राज्य सरकार से विलंब के दिनों की संख्या के लिए, आरबीआई की बैंक दर पर ब्याज के साथ राशि जारी करने की अपेक्षा की जाएगी। राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह जारी आदेश की प्रति व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय को पृष्ठांकित करे।

तत्काल राहत पर व्यय की बुकिंग

8. राहत कार्यों पर वास्तविक व्यय केवल संबंधित उप मुख्य शीर्ष के तहत दर्ज किया जाएगा, जो मुख्य शीर्षः 2245 के अंतर्गत लघु शीर्ष के अनुरूप है: (अर्थात सूखे के लिए 01; बाढ़ के लिए 02, चक्रवात के लिए 03, भूकंप के लिए 04, ओलावृष्टि के लिए 05, भूस्खलन के लिए 06, बादल फटने के लिए 07, आग के लिए 08, सुनामी के लिए 09, हिमस्खलन के लिए 10, कीट के हमले के लिए 11 और शीत-लहर/पाले के लिए 12 और अन्य राज्य विशिष्ट आपदाओं के लिए 13, विशिष्ट आपदा के लिए 13.1, विशिष्ट आपदा के लिए 13.2, विशिष्ट आपदा के लिए 13.3, विशिष्ट आपदा के लिए 13.4, विशिष्ट आपदा के लिए 13.5 ... आदि; "राज्य आपदा मोचन निधि" के लिए 16 और सामान्य के लिए 80)। एसडीआरएफ से वसूला जाने वाला व्यय 2245-05-901 के तहत नकारात्मक प्रविष्टि के रूप में दर्शाया जाएगा - राहत व्यय के लिए कटौती राशि को एसडीआरएफ से पूरा किया गया। चूंकि

उचित लेखांकन व्यय की बुकिंग के लिए पारदर्शिता लाता है, इसलिए संबंधित राज्यों के महालेखानियंत्रक/महालेखाकारों के कार्यालय मुख्य शीर्ष 2245 के तहत अधिसूचित आपदाओं/मदों में से प्रत्येक के संबंध में उप शीर्ष/लघु शीर्ष बना सकते हैं। एसडीआरएफ से लिया जाने वाला शुल्क राहत व्यय के लिए एसडीआरएफ से मिले 2245-05-901-कटौती राशि के तहत नकारात्मक प्रविष्टि के रूप में दिखाया जाएगा।

9. लोक लेखा से प्रत्यक्ष व्यय नहीं करना चाहिए। भले ही कुछ प्रशासनिक कारणों से एमएच: 2245 के सिवाय अन्य खाते के शीर्ष के तहत तत्काल राहत पर क्यों न खर्च किया गया हो, तो भी इन्हें अंत में एमएच: 2245 के तहत अंतर-खाता अंतरण के माध्यम से बुक किया जाना चाहिए।

10. आपदा प्रबंधन के लिए किए गए आवंटन का उपयोग करने के लिए, एमएच '1601 - केंद्र सरकार से सहायता अनुदान', एमएच '2245 - प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत', एमएच '3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान', एमएच- '8121- सामान्य और अन्य आरक्षित निधियां', ब्याज वाली आरक्षित निधि के तहत, और एमएच '8235-सामान्य और अन्य आरक्षित निधियां', बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियों के तहत, लघु शीर्षों के अनुरूप उप मुख्य शीर्ष, निधियों को जारी करने के लिए खोले जाने चाहिए। सीजीए और व्यय विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों द्वारा इन लेखांकन मानदंडों का पालन किया जाता है। सीएजी इन निर्धारित लेखांकन प्रथाओं के अनुपालन की उचित रूप से समीक्षा कर सकता है।

11. राज्य सरकारों के पास एसडीआरएफ और एनडीआरएफ फंड की उपलब्धता के बारे में वास्तविक समय पर जानकारी रखने के लिए**,** गृह मंत्रालय ने एक वेब-आधारित ऑनलाइन एप्लिकेशन**,** यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एनडीएमआईएस) विकसित की है। इसलिए**,** राज्य सरकारें वास्तविक समय के आधार पर**,** भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुरूप राज्य आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ से अतिरिक्त केंद्रीय सहायता सहित) से किए गए खर्च का ऑनलाइन डेटा प्रदान करेंगी। यह **15**वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के पैरा-**8.112** में की गई सिफारिशों के अनुरूप भी है।

निधि में केंद्र सरकार का अंशदान जारी करना

12. एसडीआरएफ में केंद्र सरकार का हिस्सा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जून और दिसंबर में दो किस्तों में राज्य सरकारों को भेजा जाएगा। इसी तरह, राज्य सरकारें भी उसी वर्ष जून और दिसंबर में दो किस्तों में एसडीआरएफ को अपना अंशदान अंतरित करेंगी, बशर्ते कि यदि गृह मंत्रालय (एमएचए), इस बात से संतुष्ट हो कि किसी विशेष आपदा की अनिवार्यता को देखते हुए ऐसा करना आवश्यक है, तो किसी विशेष वर्ष की किस्त के केंद्रीय हिस्से को शीघ्र जारी किए जाने की सिफारिश कर सकता है । इसके अलावा, एमएचए अगले वर्ष राज्य को देय धनराशि का 25% तक केंद्रीय हिस्सा जारी कर सकता है। इस रिलीज को अगले वर्ष की किस्तों में समायोजित किया जाएगा।

13. एक वर्ष में देय एसडीआरएफ में भारत सरकार का हिस्सा राज्य सरकारों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन जारी किया जाएगा: -

(i) वर्ष 2021-22 के लिए एसडीआरएफ में केंद्रीय अंशदान की किस्त राज्य सरकार द्वारा स्व-प्रमाणन प्राप्त होने पर जारी की जाएगी कि ऊपर पैरा 4 से 11 में उल्लिखित लेखांकन प्रक्रिया की व्यवस्था और पैरा 13 (ii) से (vi) में नीचे उल्लिखित अन्य शर्तें पंद्रहवें वित्त आयोग की निर्धारित अवधि के दौरान जारी रहेंगी। इन लेखांकन प्रथाओं से किसी भी विचलन के परिणामस्वरूप आवश्यक लेखांकन प्रक्रिया के अपनाए जाने या बहाल होने तक आगे की रिलीज को रोक दिया जाएगा।

(ii) ऊपर पैरा 4 से 10 में वर्णित लेखांकन प्रक्रिया और तरीके का पालन करते हुए, डीएम अधिनियम, 2005 में निर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा एक 'राज्य आपदा मोचन निधि' का विधिवत गठन किया गया है। राज्य सरकारों के लिए विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र जारी करना आवश्यक है कि डीएम अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (क) के अनुसार एसडीआरएफ स्थापित करने वाली प्रासंगिक अधिसूचनाएं तैयार की गई हैं और लागू हैं। राज्य सरकार इसकी एक प्रति गृह मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी।

(iii) राज्य को नीचे पैरा 14 में उल्लिखित राज्य कार्यकारिणी समिति (एसईसी) का गठन करना है। राज्य सरकारों के लिए एक प्रमाण-पत्र जारी करना आवश्यक है कि एसईसी का गठन करने वाली प्रासंगिक अधिसूचनाएं लागू हैं। राज्य सरकार इसकी एक प्रति गृह मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी।

(iv) राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर के महीनों में गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को अद्यतन व्यय और एसडीआरएफ में उपलब्ध शेष राशि का विवरण देते हुए एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगी, जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि पूर्व में प्राप्त राशि को राज्य के हिस्से के साथ एसडीआरएफ में जमा कर दिया गया है।पिछले वर्ष के वित्त लेखे उपलब्ध होने के बाद, यह विवरण अनुलग्नक-II के प्रारूप में प्रदान किया जाना है। उस विशेष वर्ष के लिए रिपोर्ट किया गया व्यय मुख्य शीर्ष में व्यय के आंकड़े: 2245 और एमएच में एसडीआरएफ में शेष: 8121 से मेल खाना चाहिए। किसी भी विसंगति के मामले में, एमएच: 2245 और एमएच: 8121 के आंकड़ों, जैसा कि वित्त खातों में दर्शाया गया है, पर विचार किया जाएगा।

(v) वर्ष के दिसंबर माह में देय केंद्रीय अंशदान, गृह मंत्रालय और व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय में उस वर्ष के सितंबर तक संबंधित राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष में हुई उपर्युक्त पैरा 3 में उल्लिखित किसी भी प्राकृतिक आपदा के लिए तैयार की गई 'प्राकृतिक आपदाओं पर वार्षिक रिपोर्ट' की प्राप्ति के बाद जारी किया जाएगा। । यह वार्षिक रिपोर्ट, अन्य बातों के साथ-साथ, आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं

पर सभी आवंटन, व्यय, प्रमुख उपलब्धियों और व्यय के प्रभाव को रिकॉर्ड करेगी और प्रत्येक आपदा पर राज्य सरकार द्वारा, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की सहमति से गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित एसडीआरएफ/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के व्यय की मदों और मानदंडों के अनुसार, किए गए व्यय का विवरण प्रस्तुत करेगी, जैसा कि अनुमत प्रत्येक प्रकार के व्यय के लिए है।

(vi) जब भी किसी राज्य के एसडीआरएफ की एनडीआरएफ से अतिरिक्त सहायता अनुदान के साथ प्रतिपूर्ति कर दी जाती है, तो ट्रांसफर और अकाउंटिंग के संबंध में, राज्य सरकार इस अनुदान को एसडीआरएफ में धन की तरह मानेगी । हालांकि, ऐसे मामलों में अनुदान जारी होने की तारीख से तीन महीने के भीतर एक विशिष्ट उपयोगिता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी।

(vii) गृह मंत्रालय (डीएम डिवीजन) से उचित सिफारिशें प्राप्त करने के बाद, किस्तें व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाएंगी।

राज्य कार्यकारिणी समिति

14. प्रत्येक राज्य सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 20 के अनुसार एक राज्य कार्यकारिणी समिति (एसईसी) का गठन करेगी। राज्य सरकार के मुख्य सचिव एसईसी के पदेन अध्यक्ष होंगे।

एसडीआरएफ के मामलों के संबंध में राज्य कार्यकारिणी समिति के कार्य

15. राज्य सरकार, अन्य बातों के साथ-साथ, एसईसी को निम्नलिखित उत्तरदायित्व सौंपेगी:-

(i) एसईसी तत्काल प्रकृति के राहत व्यय के एसडीआरएफ से वित्तपोषण से संबंधित सभी मामलों पर निर्णय लेगी। नि:शुल्क राहत प्रदान करने की अवधि एसईसी और केंद्रीय टीम (एनडीआरएफ के मामले में) के आकलन के अनुसार होगी। सहायता की डिफ़ॉल्ट अवधि निर्धारित समय-सीमा के अनुसार होनी चाहिए। हालांकि, यदि एसईसी ऐसा महसूस करती है और वास्तविक स्थिति के आधार पर, राहत सहायता की अवधि को इस शर्त के अधीन निर्धारित समय-सीमा से आगे बढ़ाया जा सकता है कि इसपर व्यय एसडीआरएफ आवंटन की वर्ष के लिए निर्धारित सीमा के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ii) एसईसी सरकार से अंशदान प्राप्त करने की व्यवस्था करेगी, एसडीआरएफ/एनडीआरएफ का प्रबंधन करेगी और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित मानदंडों के अनुसार एसडीआरएफ में अभिवृद्धि का निवेश करेगी। निवेश के मानदंड नीचे पैरा 24-29 में दर्शाए गए हैं.

(iii) एसईसी यह सुनिश्चित करेगी कि:-

(क) एसडीआरएफ से निकाले गए धन का उपयोग वास्तव में उन उद्देश्यों के लिए किया जाता है जिनके लिए एसडीआरएफ की स्थापना की गई है।

(ख) व्यय केवल व्यय की मदों पर और नीचे पैरा 17 में दिए गए मानदंडों के अनुसार हैं।

(ग) एसडीआरएफ खाते में राज्य के हिस्से का समय पर प्रेषण।

(घ) गैर-ब्याज वाले सार्वजनिक खाते के तहत राशि नहीं रखी जाती है।

(ङ) निधि को अस्वीकार्य व्यय के लिए डायवर्ट नहीं किया गया है।

(च) एसडीआरएफ और राज्य के संसाधनों/बजट प्रावधान के मिश्रण के कारण धन का अधिक उपयोग नहीं किया जाएगा।

(छ) सभी व्यक्तिगत लाभार्थी-उन्मुख सहायता पीएफएमएस या पीएफएमएस के साथ पूरी तरह से एकीकृत राज्य विशिष्ट पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते के माध्यम से अनिवार्य रूप से/आवश्यक रूप से वितरित की जाती है।

(ज) ऊपर पैरा 4 से 11 में उल्लिखित लेखांकन प्रक्रिया का ठीक से अनुपालन किया जाता है।

(झ) दिशा-निर्देशों के पैरा 23 के अनुरूप एसडीआरएफ फंड के निवेश के संबंध में निर्देशों का अनुपालन।

(ञ) अनुग्रह राशि, आवास और आजीविका सहायता (डीबीटी के माध्यम से) का वितरण करते समय, राशि को यथासंभव घर की महिला सदस्य के खाते में अंतरित किया जाना चाहिए।

(iv) एसडीआरएफ में वृद्धि, एसडीआरएफ के निवेश पर अर्जित आय के साथ, एसईसी द्वारा अनुमोदित मानदंडों के तहत कवर किए गए व्यय की मदों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जैसा कि नीचे पैरा 17 में है।

(v) राष्ट्रीय आपदा मोचन रिजर्व (एनडीआरआर) सूची में आइटम राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के परिचालनात्मक उपयोग और आपदाओं के पीड़ितों के उपयोग के लिए हैं। इसलिए, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने मौजूदा एसडीआरएफ आवंटन के माध्यम से समय पर प्रतिपूर्ति की जाएगी।

एसईसी यह सुनिश्चित करेगी कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल द्वारा उठाई गई मांग के अनुसार एसडीआरएफ से एनडीआरआर में धन की पुनःपूर्ति की जाती है। यदि राज्य सरकार उसी वित्तीय वर्ष के भीतर एनडीआरआर की पुनःपूर्ति करने में विफल रहती है, तो अगली किस्त से संबंधित राज्य सरकार के एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से से कटौती करके सीधे स्रोत पर कटौती के माध्यम से निधि की भरपाई की जा सकती है।

एसईसी का व्यय

16. एसईसी के सभी प्रशासनिक व्यय और विविध व्यय राज्य सरकार द्वारा अपने सामान्य बजटीय प्रावधानों से वहन किए जाएंगे, न कि एसडीआरएफ या एनडीआरएफ से।

मदों और व्यय के मानदंडों के तहत सहायता का आकलन

17. व्यय की प्रत्येक अनुमोदित मद पर व्यय की जाने वाली राशियों के मानदंड गृह मंत्रालय द्वारा व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की सहमति से निर्धारित किए जाएंगे और समय-समय पर संशोधित किए जा सकते हैं। यदि कोई राज्य सरकार मानदंडों में निर्धारित राशि से अधिक व्यय करती है, तो अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार के बजट पर वहन किया जाना चाहिए और एसडीआरएफ या एनडीआरएफ से नहीं लिया जाना चाहिए।

18. एसईसी राहत व्यय के वित्तपोषण के लिए एसडीआरएफ से सहायता की आवश्यकताओं का आकलन करेगी। राहत पर व्यय का प्रावधान राज्य सरकार के बजट में उपर्युक्त पैरा 7 के अनुसार किया जायेगा। एसईसी द्वारा अधिकृत एसडीआरएफ से वित्तपोषित किए जाने वाले राहत व्यय की सीमा को नीचे पैरा 27-29 में वर्णित तरीके से निवेश होल्डिंग्स के परिसमापन के बाद, एसडीआरएफ से किया जाएगा।

19. राज्य में स्थानीय संदर्भ में राज्य-विशिष्ट प्राकृतिक आपदाओं, जो भारत सरकार (जीओआई) द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार एमएचए द्वारा जारी आपदाओं की अधिसूचित सूची में शामिल नहीं है, के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए व्यय, एसडीआरएफ की फंडिंग विंडो के वार्षिक आवंटन के 10 प्रतिशत फंड की अनुमेय सीमा के भीतर एसडीआरएफ से पूरा किया जा सकता है। हालाँकि, यह लचीलापन तभी लागू होगा जब राज्य ने प्राकृतिक आपदाओं को शामिल करने के लिए ठीक से सूचीबद्ध किया है और एसईसी के अनुमोदन से ऐसी आपदाओं के लिए आपदा राहत के लिए स्पष्ट और पारदर्शी मानदंड और दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं। ऐसी स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं के लिए राज्य द्वारा, अधिकतम सीमा से अधिक खर्च की जाने वाली कोई भी राशि, उसके अपने संसाधनों से वहन की जाएगी और उसी लेखांकन मानदंडों के अधीन होगी।

20. रिकवरी और पुनर्निर्माण तथा तैयारी और क्षमता निर्माण विंडो के तहत प्रदान किए गए व्यय को छोड़कर, स्थायी प्रकृति की दीर्घकालिक गतिविधियों की आपदा तैयारी, बहाली, पुनर्निर्माण और शमन पर व्यय एसडीआरएफ/एनडीआरएफ का हिस्सा नहीं होना चाहिए और इसे सामान्य बजटीय शीर्ष/संबंधित योजना/राज्य योजना निधि आदि से पूरा किया जाना चाहिए।

21. एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के भीतर तत्काल प्रकृति की गतिविधियों पर ध्यान देने के लिए रिकवरी, पुनर्निर्माण, तैयारी और क्षमता निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए 15 वें वित्त आयोग द्वारा फंडिंग विंडो में उप-विभाजित किया गया है। एसडीआरएफ को कुल एसडीआरएमएफ का 80 प्रतिशत मिलेगा, जबकि एसडीएमएफ को आवंटन का 20 प्रतिशत मिलेगा। एसडीआरएफ आवंटन के भीतर, तीन उप-आवंटन होंगे। जबकि एसडीआरएफ और एसडीएमएफ की फंडिंग विंडो अंतर-परिवर्तनीय नहीं हैं, उस वित्तीय वर्ष के लिए एसडीआरएफ की तीन उप-विंडो के भीतर पुन: आवंटन के लिए लचीलापन हो सकता है। उप-विंडो के बीच कुल एसडीआरएफ आवंटन का वितरण निम्नानुसार है:

(i) एसडीआरएमएफ के वार्षिक आवंटन का चालीस प्रतिशत (40%) मोचन और राहत गतिविधियों के लिए रखा जाता है। इन गतिविधियों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार प्रशासित किया जाएगा।

(ii) एसडीआरएमएफ के वार्षिक आवंटन का तीस प्रतिशत (30%) रिकवरी और पुनर्निर्माण संबंधी कार्यकलापों के लिए रखा जाता है। इन कार्यकलापों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार प्रशासित किया जाएगा।

(iii) एसडीआरएमएफ के वार्षिक आवंटन का दस प्रतिशत (10%) तैयारी और क्षमता निर्माण संबंधी कार्यकलापों के लिए रखा जाता है। इन कार्यकलापों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार प्रशासित किया जाएगा।

फंड से निवेश के पैटर्न

22. भारत सरकार और/या राज्य सरकार से अंशदान की राशि प्राप्त होने पर, एसईसी दिशा-निर्देशों के पैरा 23 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार निधियों के निवेश के संबंध में कार्रवाई करेगा।

23. एसडीआरएफ के निवेश पर अर्जित आय के साथ एसडीआरएफ में हुई अभिवृद्धि का निम्नलिखित में से एक या अधिक लिखतों में तब तक निवेश किया जाएगा जब तक भारत सरकार द्वारा प्रतिकूल अनुदेश जारी नहीं किए जाते :-

(क) केंद्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियां;

(ख) नीलाम किए गए ट्रेजरी बिल; तथा

(ग) अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज अर्जित जमा और जमा के प्रमाण पत्र।

निधि का निवेश राज्य के मुख्यालय में भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकिंग विभाग वाले) की शाखा या आरबीआई द्वारा नामित बैंक द्वारा किया जाएगा। सिक्किम के संबंध में, राज्य के बैंकरों द्वारा कार्य किए जा सकते हैं।

निवेश लेनदेन का खाता

24. एसईसी समय-समय पर उपर्युक्त पैरा 23 में निर्दिष्ट संबंधित स्थानीय बैंकरों को निर्देश जारी करेगा कि वे पैरा 23 के तहत खंड (क) से (ग) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में एसडीआरएफ से निर्दिष्ट राशि का निवेश करें। बैंक स्थानीय रूप से या मुंबई या अन्य महानगरीय केंद्रों में अपनी शाखाओं/संपर्की बैंकों/आरबीआई के माध्यम से आवश्यक निवेश करने की व्यवस्था करेंगे। बैंक सामान्य रूप से निवेश और अन्य आकस्मिक प्रभार जैसे ब्रोकरेज, कमीशन आदि के कारण डेबिट को सरकार के पास स्क्रॉल करेंगे। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि एसडीआरएफ के निवेश लेनदेन, अन्य लेनदेन, के साथ मिश्रित नहीं हो जाएं, इन्हें अलग-अलग स्क्रॉल में स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सकता है।

25. स्क्रॉल प्राप्त होने पर, निवेश लेनदेन का "8121-सामान्य और अन्य आरक्षित निधि-'राज्य आपदा मोचन निधि' के तहत हिसाब में लिया जाएगा। ब्रोकरेज, कमीशन आदि जैसे आकस्मिक प्रभार एसडीआरएफ पर प्रभार के रूप में हिसाब में लिए जाएंगे।

26. बैंक इन प्रतिभूतियों/बांडों पर ब्याज वसूलने की व्यवस्था करेगा और उसे नियत तारीख पर सरकार के खाते में जमा करेगा। ये प्राप्तियां एसडीआरएफ की प्राप्तियों का एक हिस्सा होंगी और उनका हिसाब इसी तरह से रखा जाएगा। इसके अलावा, इन्हें एसईसी द्वारा निवेशित करने की आवश्यकता होगी जैसा कि सरकार द्वारा अंशदान के मामले में है अर्थात उपयुक्त पैरा 23 में निर्धारित निवेश मानदंडों के अनुसार है। प्रतिभूतियों की परिपक्वता की अवधि पूरी होने पर, प्राप्तियों को एकत्र किया जाएगा और सरकार के खाते में जमा किया जाएगा या एसईसी से प्राप्त निर्देशों के आधार पर उनका पुनर्निवेश किया जाएगा। जैसा कि डेबिट स्क्रॉल के मामले में होता है, बैंक प्राप्तियों के लिए अलग स्क्रॉल का उपयोग करेंगे।

27. एसईसी से निर्देश प्राप्त होने पर, संबंधित बैंक मुंबई या किसी अन्य महानगरीय केंद्र में अपनी शाखाओं/संबंधित बैंकों/आरबीआई के माध्यम से प्रतिभूतियों को रूलिंग प्राइस पर बेचने की व्यवस्था करेगा और वसूल की गई राशि को, आकस्मिक प्रभार घटाकर, सरकार के खाते में जमा करेगा।

28. प्रतिभूतियों की परिपक्वता या बिक्री के कारण प्राप्तियों को "राज्य आपदा मोचन निधि" में जमा किया जाएगा। बिक्री पर आकस्मिक प्रभार को एसडीआरएफ खाते से लिया जा सकता है।

29.1. नीलाम किए गए ट्रेजरी बिल, बैंक द्वारा बाजार में या तो गैर-प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर ट्रेजरी बिल की नीलामी से खरीदे जा सकते हैं।

29.2. राज्य सरकार एसडीआरएफ में अपने स्वयं के संसाधनों से, निधियों का निवेश न करने के कारण हुई हानि के बराबर, राशि की प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगी।

प्रतिभूतियों का नकदीकरण

30. सहायता/राहत के लिए स्वीकृत दावों के कारण देयता को पूरा करने के लिए, एसईसी पहले नीलाम किए गए ट्रेजरी बिलों की अपनी होल्डिंग्स का निपटान आवश्यक सीमा तक करेगी, और सबसे पुराने बिलों को पहले बेचा जाएगा और यह सिलसिला चलता रहेगा। यदि नीलाम किए गए ट्रेजरी बिलों की बिक्री से प्राप्त राशि स्वीकृत की गई राहत की देयता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो एसईसी अधिसूचित किए गए वाणिज्यिक बैंकों की स्थानीय शाखाओं के साथ जमा का नकदीकरण कर सकता है। केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों को तभी बेचा जा सकता है जब ट्रेजरी बिलों की बिक्री और जमा राशि के नकदीकरण से प्राप्त राशि पर्याप्त न हो।

31. संबंधित राज्य सरकार आरबीआई/बैंकों को संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से आरबीआई द्वारा निर्धारित दर पर कमीशन का भुगतान करेगी। इन शुल्कों को भी एसडीआरएफ द्वारा वहन किया जाएगा जैसा कि पैरा 25 में शुल्कों के मामले में दर्शाया गया है। प्रतिभूतियों की बिक्री पर होने वाले नुकसान या लाभ को भी एसडीआरएफ के खाते में लिया जाएगा।

गृह मंत्रालय द्वारा निगरानी

32. गृह मंत्रालय एसडीआरएफ के संचालन की निगरानी के लिए नोडल मंत्रालय है, तथा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन की निगरानी करेगा। गृह मंत्रालय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत दिशा-निर्देश/अनुदेश जारी कर सकता है।

एसडीआरएफ में अव्ययित शेष राशि

33. वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक एसडीआरएफ खाते में अव्ययित शेष वित्तीय वर्ष 2021-22 के एसडीआरएफ खाते का प्रारंभिक शेष होगा। भारत सरकार राज्यों के एसडीआरएफ में 2025-26 के अंत में उपलब्ध किसी भी शेष राशि को हैंडल करने के तौर-तरीकों के बारे में बताएगी। अन्यथा, जब तक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, 2026-2031 की आगामी अवधि में एसडीआरएफ के तहत राहत व्यय के लिए अंतिम शेष उपलब्ध होगा।

लेखा और लेखापरीक्षा

34. एसडीआरएफ के खाते (आपदा-वार स्वीकृत) और निवेश का सामान्य स्थिति में राज्य के खातों के प्रभारी महालेखाकार द्वारा रखरखाव किया जाएगा। एसडीआरएफ के संबंध में प्रारंभिक शेष, प्राप्तियों, व्यय और अंतिम शेष की स्थिति के बारे में प्रकटीकरण वित्त खातों में एक अलग श्रेणी में किया जाएगा। हालांकि, एसईसी सहायक खातों (आपदा-वार) को इस तरह बनाए रखेगी तथा ब्यौरा इस प्रकार दिया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा महालेखाकार के परामर्श से आवश्यक समझा जाए।

35. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, एसडीआरएफ दिशानिर्देशों के प्रयोजनों के संदर्भ में अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुरूप प्रत्येक वर्ष की जाने वाली एसडीआरएफ की लेखापरीक्षा/कार्य निष्पादन संपरीक्षा कराएंगे। राज्य सरकार एसडीआरएफ के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी।

आउटकम फ्रेमवर्क

36. एसडीआरएमएफ और एनडीआरएमएफ संसाधनों के आवंटन और उपयोग के लिए अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा एक आउटकम फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा। इस तरह की रूपरेखा सेंडई फ्रेमवर्क संकेतकों को पूरा करने के लिए राज्यों की प्रतिबद्धताओं की अपेक्षा करती है। इनमें से कुछ में मृत्यु दर को कम करना, सामुदायिक सुधार और लचीलेपन का समर्थन करना और आपदा सहायता की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करना शामिल है। राष्ट्रीय स्तर पर इस संबंध में, वार्षिक रिपोर्ट में एसएफडीआरआर के कार्यान्वयन के लिए विकसित विभिन्न संकेतकों के खिलाफ, सभी आवंटन, व्यय, प्रमुख उपलब्धियों और परिणामों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) पूरे आवंटन की मध्यावधि समीक्षा कर सकते हैं और

विभिन्न विंडो के माध्यम से व्यय के प्रभाव का आकलन कर सकते हैं। राष्ट्रीय और राज्य की क्षमताओं और संसाधनों के लिए इन आवंटनों के योगदान का मूल्यांकन एनडीएमए द्वारा निर्धारित किए गए संकेतकों के एक सेट के माध्यम से किया जा सकता है।

बचत

37. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की सहमति से गृह मंत्रालय समय-समय पर दिशा-निर्देशों में परिवर्तन/संशोधन करेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे। इसके अतिरिक्त, इन निर्देशों के किसी भी प्रावधान को लागू करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर, केंद्र सरकार, यदि संतुष्ट हो, तो दिशानिर्देशों के प्रावधानों को संशोधित कर सकती है या आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन कर सकती है।

*****

अनुलग्नक-I

निर्धारित अवधि 2021-26 के लिए राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) का राज्यवार आवंटन

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	राज्य का अंश						केन्द्र का अंश						कुल (केन्द्र और राज्य का अंश)					
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
1	आंध्र प्रदेश	297.60	312.80	328.00	344.80	361.60	**1644.80**	895.20	940.00	987.20	1036.00	1088.00	**4946.40**	1192.80	1252.80	1315.20	1380.80	1449.60	**6591.20**
2	अरुणाचल प्रदेश	22.40	23.20	24.80	25.60	27.20	**123.20**	200.00	210.40	220.80	231.20	243.20	**1105.60**	222.40	233.60	245.60	256.80	270.40	**1228.80**
3	असम	68.80	72.00	76.00	79.20	83.20	**379.20**	617.60	648.80	680.80	716.00	751.20	**3414.40**	686.40	720.80	756.80	795.20	834.40	**3793.60**
4	बिहार	377.60	396.80	416.00	436.80	459.20	**2086.40**	1132.80	1189.60	1248.80	1311.20	1376.80	**6259.20**	1510.40	1586.40	1664.80	1748.00	1836.00	**8345.60**

5	छत्तीसगढ	115.20	120.80	127.20	133.60	140.00	**636.80**	345.60	363.20	380.80	400.00	420.00	**1909.60**	460.80	484.00	508.00	533.60	560.00	**2546.40**
6	गोवा	2.40	3.20	3.20	3.20	4.00	**16.00**	9.60	9.60	9.60	10.40	11.20	**50.40**	12.00	12.80	12.80	13.60	15.20	**66.40**
7	गुजरात	352.80	370.40	388.80	408.80	428.80	**1949.60**	1059.20	1112.00	1168.00	1226.40	1287.20	**5852.80**	1412.00	1482.40	1556.80	1635.20	1716.00	**7802.40**
8	हरियाणा	131.20	137.60	144.00	151.20	159.20	**723.20**	392.80	412.80	433.60	455.20	477.60	**2172.00**	524.00	550.40	577.60	606.40	636.80	**2895.20**
9	हिमाचल प्रदेश	36.00	38.40	40.00	41.60	44.00	**200.00**	327.20	342.40	360.80	378.40	397.60	**1806.40**	363.20	380.80	400.80	420.00	441.60	**2006.40**
10	झारखंड	151.20	158.40	166.40	175.20	184.00	**835.20**	454.40	476.80	500.80	526.40	552.00	**2510.40**	605.60	635.20	667.20	701.60	736.00	**3345.60**
11	कर्नाटक	210.40	221.60	232.00	244.00	256.00	**1164.00**	632.80	664.00	697.60	732.00	768.80	**3495.20**	843.20	885.60	929.60	976.00	1024.80	**4659.20**
12	केरल	84.00	88.00	92.00	96.80	101.60	**462.40**	251.20	264.00	277.60	291.20	306.40	**1390.40**	335.20	352.00	369.60	388.00	408.00	**1852.80**
13	मध्य प्रदेश	485.60	509.60	535.20	561.60	589.60	**2681.60**	1456.00	1528.80	1605.60	1686.40	1770.40	**8047.20**	1941.60	2038.40	2140.80	2248.00	2360.00	**10728.80**

14	महाराष्ट्र	859.20	902.40	947.20	994.40	1044.00	**4747.20**	257 7.60	270 6.40	284 1.60	298 4.00	313 2.80	**1424 2.40**	343 6.80	360 8.80	378 8.80	397 8.40	417 6.80	**1898 9.60**
15	मणिपुर	4.00	4.00	4.00	4.00	4.80	**20.80**	33.60	35.20	37.60	40.00	40.80	**187.20**	37.60	39.20	41.60	44.00	45.60	**208.00**
16	मेघालय	5.60	6.40	6.40	6.40	7.20	**32.00**	52.80	54.40	58.40	60.80	64.00	**290.40**	58.40	60.80	64.80	67.20	71.20	**322.40**
17	मिजोरम	4.00	4.00	4.80	4.80	4.80	**22.40**	37.60	39.20	41.60	43.20	45.60	**207.20**	41.60	43.20	46.40	48.00	50.40	**229.60**
18	नागालैंड	4.00	4.00	4.00	4.00	4.80	**20.80**	32.80	34.40	36.80	38.40	40.00	**182.40**	36.80	38.40	40.80	42.40	44.80	**203.20**
19	ओडिशा	428.00	448.80	471.20	495.20	520.00	**2363.20**	128 3.20	134 8.00	141 5.20	148 5.60	156 0.00	**7092.00**	171 1.20	179 6.80	188 6.40	198 0.80	208 0.00	**9455.20**
20	पंजाब	132.00	138.40	145.60	152.80	160.80	**729.60**	396.00	416.00	436.80	458.40	481.60	**2188.80**	528.00	554.40	582.40	611.20	642.40	**2918.40**
21	राजस्थान	395.20	414.40	435.20	456.80	480.00	**2181.60**	118 4.80	124 4.80	130 7.20	137 2.00	144 0.00	**6548.80**	158 0.00	165 9.20	174 2.40	182 8.80	192 0.00	**8730.40**
22	सिक्किम	4.80	4.80	4.80	4.80	5.60	**24.80**	40.00	42.40	44.80	47.20	48.80	**223.20**	44.80	47.20	49.60	52.00	54.40	**248.00**

23	तमिलनाडु	272.00	285.60	300.00	315.20	330.40	**1503.20**	816.00	856.80	900.00	944.80	992.00	**4509.60**	1088.00	1142.40	1200.00	1260.00	1322.40	**6012.80**
24	तेलंगाना	120.00	125.60	132.00	138.40	145.60	**661.60**	359.20	377.60	396.00	416.80	436.80	**1986.40**	479.20	503.20	528.00	555.20	582.40	**2648.00**
25	त्रिपुरा	6.40	6.40	6.40	7.20	7.20	**33.60**	54.40	56.80	60.80	63.20	67.20	**302.40**	60.80	63.20	67.20	70.40	74.40	**336.00**
26	उत्तर प्रदेश	516.00	541.60	568.00	596.80	626.40	**2848.80**	1546.40	1624.00	1705.60	1791.20	1880.80	**8548.00**	2062.40	2165.60	2273.60	2388.00	2507.20	**11396.80**
27	उत्तराखंड	83.20	87.20	92.00	96.00	100.80	**459.20**	749.60	787.20	826.40	868.00	911.20	**4142.40**	832.80	874.40	918.40	964.00	1012.00	**4601.60**
28	पश्चिम बंगाल	269.60	283.20	297.60	312.00	328.00	**1490.40**	808.80	849.60	892.00	936.00	983.20	**4469.60**	1078.40	1132.80	1189.60	1248.00	1311.20	**5960.00**
	कुल	**5439.20**	**5709.60**	**5992.80**	**6291.20**	**6608.80**	**30041.60**	**17747.20**	**18635.20**	**19572.80**	**20550.40**	**21575.20**	**98080.80**	**23186.40**	**24344.80**	**25565.60**	**26841.60**	**28184.00**	**128122.40**

संदर्भ: अनुलग्नक 8.4 और 8.5. 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट, खंड II

अनुलग्नक -II

प्रोफॉर्मा

(करोड़ रु. में)

(क) एसडीआरएफ/एनडीआरएफ में जारी राशियों का विवरण

1. 01.04.20--- को प्रारंभिक शेष : _____
2. एसडीआरएफ में जमा की गई अग्रिम रिलीज सहित केंद्र का हिस्सा : _____
3. राज्य का तदनुरूपी हिस्सा : _____
4. एसडीआरएफ में जमा किया गया राज्य का संबंधित हिस्सा : _____
5. एनडीआरएफ के तहत प्राप्त राशि : _____
6. एनडीआरएफ में जमा किया गया राज्य का तदनुरूपी हिस्सा : _____
7. 30 सितंबर 20..... की स्थिति के अनुसार व्यय : _____
8. 31 मार्च 20 की स्थिति के अनुसार संचयी व्यय ..... : _____

(परिशिष्ट में दिए गए प्रोफार्मा में व्यय विवरण प्रदान किया जाना है)।

9. वित्तीय वर्ष के दौरान निवेश खाते में अंतरित राशि ..... : _____
10. ....के दौरान निवेश (अर्जित ब्याज सहित) खाते से प्राप्त राशि ..... : _____
11. अंतिम शेष (1+2+4+5+6+10)–(7 या 8): 31 मार्च / 30 सितंबर 20.. : _____

(ख) 1. प्रारंभिक शेष: 01 अप्रैल, 20..... _____

1.1 31 मार्च 20..... की स्थिति के अनुसार एसडीआरएफ से किया गया कुल निवेश.....
:

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष 20.....के दौरान प्राप्ति
   (i) एसडीआरएफ में केंद्र का हिस्सा : ----------
   (ii) एसडीआरएफ में राज्य का हिस्सा : ----------
   (iii) एनडीआरएफ के तहत सहायता - केंद्र का हिस्सा : ----------
   (iv) एनडीआरएफ में राज्य का तदनुरूपी हिस्सा : ----------
   (v) अर्जित ब्याज (एसडीआरएफ से किए गए निवेश सहित) :.....
   (vi) अन्य : ----------
   (vii) केंद्र/राज्य के हिस्से का बकाया, यदि कोई हो, : ----------
---
   एसडीआरएफ में जमा किया जाएगा
   (viii) कुल (i) से (vii) : ----------
   (ix) जिनमें से राशि एसडीआरएफ में जमा की गई : ----------

3. एसडीआरएफ में उपलब्ध कुल राशि {(2 का 1+ उप-शीर्ष (ix)}: ----------
4. निधि में से वर्ष के दौरान एसडीआरएफ की मदों और मानदंडों के अनुरूप कुल व्यय:

i) 31 मार्च, 20 ... : ---------- की स्थिति के अनुसार
ii) 30 सितंबर, 20.... की स्थिति के अनुसार : ----------

(परिशिष्ट में दिए गए प्रोफार्मा में व्यय विवरण प्रदान किया जाना है)

5. निधि में उपलब्ध शेष राशि (3-4) :----------
31 मार्च/ 30 सितंबर 20.....

(ग) 'प्राकृतिक आपदाओं पर वार्षिक रिपोर्ट' की प्रस्तुति।

(i) क्या पिछले वर्ष के लिए "प्राकृतिक आपदाओं पर वार्षिक रिपोर्ट" ..... को गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है (हां/नहीं) -------
(ii) यदि हां, तो भेजने की तिथि :----------

नोट:- *एसडीआरएफ/एनडीआरएफ खाते की अलग से पवित्रता बनाए रखने के लिए, राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि राज्य के बजट निधि/संसाधनों से खर्च किए गए अतिरिक्त व्यय, यदि कोई हो, को उचित लेखांकन प्रक्रिया का पालन किए बिना/इस खाते में जमा किए बिना, एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के साथ मिश्रित नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा यह एसडीआरएफ की पहचान खो देगा।*

*****

परिशिष्ट

प्रोफार्मा

राज्य: _____

भाग-I: वित्तीय वर्ष 202.....के दौरान व्यय (करोड़ रु. में)

मद	फंडिग विंडो वार व्यय निधीयन (करोड़ रु.)						31 मार्च/30 सितम्बर, 20.... की स्थिति के अनुसार कुल व्यय
	कार्रवाई एवं राहत		रिकवरी एवं पुनर्निर्माण		तैयारी तथा क्षमता निर्माण		
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	
	1	2	3	4	5	6	7 (2 + 4+ 6)
1. एसडीआरएफ							
2. एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के सब विंडो के भीतर पुन: आबंटन **(+/-)**							
कुल (1+2)							

<u>भाग -II : एनडीआरएफ के फंडिंग विंडो से परियोजना-वार निर्धारित व्यय का विवरण</u>

क्र. सं.	परियोजना	रिकवरी और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो			31 मार्च/30 सितंबर 20----- को उपलब्ध शेष राशि...	परियोजना	तैयारी और क्षमता निर्माण फंडिंग विंडो			31 मार्च/30 सितंबर 20---- को उपलब्ध शेष राशि...
		अपरदन से प्रभावित, विस्थापित लोगों का पुनर्वास					अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण			
		वर्ष के दौरान प्राप्तियां		व्यय			वर्ष के दौरान प्राप्तियां		व्यय	
		केन्द्रीय हिस्सा (90%)	राज्य का हिस्सा (10%)				केन्द्रीय हिस्सा (90%)	राज्य का हिस्सा (10%)		
1	2	3	4	5	6 (3+4 - 5)	7	8	9	10	11 (8+9 - 10)
1										

नोट:- एसडीआरएफ खाते से किया जाने वाला व्यय केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुमोदित मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार होना चाहिए।

गृह मंत्रालय

(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के गठन और प्रबंधन के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश

प्रस्तावना

1. इन दिशानिर्देशों को 'राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि' (एनडीआरएफ) दिशानिर्देश 2021-26 कहा जाएगा। एनडीआरएफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 के तहत गठित एक निधि है। ये दिशानिर्देश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (इसके पश्चात डीएम अधिनियम, 2005 कहा जाएगा) की धारा 46 (2) के तहत किसी राज्य के राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) की पूर्ति के लिए जारी किए गए हैं ताकि गंभीर प्रकृति की आपदाओं के मामले में तत्काल राहत की सुविधा प्रदान की जा सके।

लागू होने की अवधि

2.1 ये दिशानिर्देश वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक प्रभावी रहेंगे और अगले आदेश तक जारी रहेंगे।

2.2 पंद्रहवें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एनडीआरएमएफ) हेतु 68,463 करोड़ रुपये के कुल आवंटन की सिफारिश की है। इसके अलावा, एनडीआरएमएफ के कुल आवंटन को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) में विभाजित किया गया है, जो एक साथ आपदा प्रबंधन की समग्र जरूरतों अर्थात् मोचन और राहत, रिकवरी और पुनर्निर्माण, तैयारी और क्षमता निर्माण, और शमन आदि के चक्र को पूरा करेगा।

2.3 एनडीआरएफ को कुल एनडीआरएमएफ का 80 प्रतिशत प्राप्त होगा, जबकि एनडीएमएफ को आवंटन का 20 प्रतिशत मिलेगा। एनडीआरएफ के भीतर तीन उप-आवंटन होंगे: (i) कार्रवाई और राहत (एनडीआरएमएफ 40 प्रतिशत), (ii) रिकवरी और

पुनर्निर्माण (एनडीआरएमएफ 30 प्रतिशत) और (iii) तैयारी और क्षमता निर्माण (10 प्रतिशत) जबकि एनडीआरएफ और एनडीएमएफ की फंडिंग विंडो अंतर-परिवर्तनीय नहीं हैं, उस वित्तीय वर्ष के लिए एनडीआरएफ की तीन उप-विंडो के भीतर पुन: आवंटन के लिए लचीलापन हो सकता है, बशर्ते कि उस सब-विंडो के लिए निर्धारित राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

2.4 ये दिशानिर्देश केंद्र सरकार द्वारा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लिए अधिसूचित आपदाओं के लिए एनडीआरएफ के संचालन और प्रबंधन के लिए हैं। तथापि, एसडीएमएफ और एनडीएमएफ के संबंध में दिशानिर्देश; और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की रिकवरी और पुनर्निर्माण, तैयारी और क्षमता निर्माण, विंडो के लिए, दिशानिर्देश अलग से जारी किए जा रहें हैं।

एनडीआरएफ के अंतर्गत आने वाली आपदाएं

3.1 चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीटों का हमला और शीत लहर और पाला की वे प्राकृतिक आपदाएं, स्थापित प्रक्रिया के अनुसार एनडीआरएफ से अतिरिक्त सहायता के लिए पात्र होंगी, जिन्हें भारत सरकार द्वारा गंभीर प्रकृति का माना जाता है, और जिन्हें एक राज्य सरकार को स्वयं के राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) में उपलब्ध शेष राशि से अधिक व्यय की आवश्यकता होती है।

राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ)

4.1. एनडीआरएफ का संचालन भारत सरकार द्वारा उपर्युक्त आपदाओं, जो की 'गंभीर प्रकृति' की मानी गयी हैं, से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, इन दिशानिर्देशों के पैरा 7.1 से 7.2 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, किया जाएगा। एनडीआरएफ को मुख्य शीर्ष 8235- 'सामान्य और अन्य आरक्षित निधि' - 125- राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि' के तहत भारत सरकार के लोक लेखा उप-खंड (ख), 'रिजर्व फंड्स नॉट बेअरिंग इंटरेस्ट' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एनडीआरएफ में योगदान

5.1 राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एनडीआरएमएफ) के लिए 2021-22 से 2025-26 तक की निर्णायक अवधि के लिए कुल आवंटन 68,463 करोड़ रुपये है, जैसा कि

15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी। इसमें से एनडीआरएफ का हिस्सा 80 प्रतिशत और एनडीएमएफ का हिस्सा 20 प्रतिशत है। इसलिए, 54,770 करोड़ रुपये का कुल कॉर्पस (यानी कुल एनडीआरएमएफ का 80 प्रतिशत) एनडीआरएफ के तहत 2021-2026 की निर्णायक अवधि के लिए आवंटित किया गया है।

एनडीआरएफ के भीतर निर्धारित आवंटन

5.2 15वें वित्त आयोग ने भी एनडीआरएफ से 5,000 करोड़ रुपये का आवंटन अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए तैयारी और क्षमता निर्माण विंडो से तथा 1,000 करोड़ रुपये का आबंटन भू-कटाव से प्रभावित विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए रिकवरी और पुनर्निर्माण विंडो से निर्धारित किया है। इन संसाधनों को राज्यों को अगले पांच वर्षों में लागत-साझाकरण आधार पर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। राज्यों को इन निधियों के लिए अलग से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदन करने की आवश्यकता है**,** जिसके लिए वे स्वीकृत राशि का 10 प्रतिशत अंशदान करेंगे। आयोग की निर्णायक अवधि (2021-2026) के बाद निर्धारित आवंटन के लिए स्वीकृत परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए कोई स्पिल-ओवर नहीं होगा।

5.3 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 (क) और (ख) के प्रावधानों के अनुसार, एनडीआरएफ को निम्नलिखित से क्रेडिट किया जाएगा:

(क) वह राशि जो केंद्र सरकार, इस संबंध में संसद द्वारा विधि द्वारा किए गए उचित विनियोग के बाद प्रदान करे;

(ख) कोई भी अनुदान जो किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा आपदा प्रबंधन के प्रयोजन से दिया जाए।

5.4 जैसा कि ऊपर पैरा 5.3 में उल्लेख किया गया है, एनडीआरएफ को धन अंतरित करने का बजट प्रावधान अनुदान की मांग संख्या 40 - "राज्यों को अंतरण" में किया जाएगा। इस प्रावधान से व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को राशि जारी की जाएगी।

5.5 वर्ष 2021-26 के दौरान भारत के लोक लेखे में स्थापित एनडीआरएफ में अंतरण निम्नलिखित लेखा शीर्षों के संचालन द्वारा किया जाएगा: मुख्य शीर्ष "2245-प्राकृतिक

आपदाओं के कारण राहत - 80-सामान्य-797-आरक्षित निधि में अंतरण और जमा खाता'- राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि में अंतरण।

5.6 एनडीआरएफ के वित्तपोषण के अतिरिक्त स्रोत को सुनिश्चित करने के लिए, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने 30 मई 2019 की अधिसूचना के माध्यम से अनुसूची VII में संशोधन को अधिसूचित किया और मद (xi) के बाद मद "(xii) आपदा प्रबंधन के रूप में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियां" सहित, एक प्रविष्टि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत की।

5.7 आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा किए गए अंशदान/अनुदान को भी एनडीआरएफ के वित्तपोषण के अतिरिक्त स्रोत के रूप में एनडीआरएफ में जमा किया जाएगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि में आपदा प्रबंधन के प्रयोजन से किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा किए गए अंशदान/अनुदान की प्राप्ति के तौर-तरीकों को डीएम अधिनियम, 2005 की धारा 46(1)(ख) के तहत विहित/निर्धारित किया है। एनडीआरएफ में किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी माध्यम से अंशदान/अनुदान दिया जा सकता है:

क) भौतिक लिखितों के माध्यम से: नई दिल्ली में "पीएओ (सचिवालय), गृह मंत्रालय" के पक्ष में आहरित। लिखत के पीछे, व्यक्ति "एनडीआरएफ में अंशदान/अनुदान" के लिए टिप्पणियों का उल्लेख कर सकता है।

ख) आरटीजीएस/एनईएफटी/यूपीआई के माध्यम से: अंशदान आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भी किया जा सकता है, जिसे "एनडीआरएफ को अंशदान/अनुदान" के रूप में दर्शाया गया हो और खाता संख्या 10314382194, IFSC कोड- SBIN0000625, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केन्द्रीय सचिवालय शाखा, नई दिल्ली में जमा किया गया हो।

(ग) भारतकोश पोर्टल https://bharatkosh.gov.in के माध्यम से निम्नलिखित चरणों के अनुसार नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई का उपयोग करके:

i. होम पेज https://bharatkosh.gov.in पर “त्वरित भुगतान” विकल्प पर क्लिक करें।

ii. अगले पृष्ठ पर, "गृह मंत्रालय" के रूप में मंत्रालय और "एनडीआरएफ को अंशदान/अनुदान" के रूप में प्रयोजन का चयन करें और वेबसाइट भुगतान के लिए आगे मार्गदर्शन करेगी।

5.8 आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए किसी भी व्यक्ति/संस्था द्वारा किए गए अनुदान/अंशदान के रूप में प्राप्ति को नए लघु शीर्ष 'आपदा प्रबंधन के लिए किसी भी व्यक्ति/संस्थाओं से अनुदान/अंशदान' के तहत भारत सरकार की प्राप्तियों के रूप में लिया जा सकता है। इसके लिए, निम्नलिखित लेखांकन व्यवहार लागू किया जाएगा, मुख्य शीर्ष 8675 'रिज़र्व बैंक के पास जमा'-00.101 'केंद्रीय सिविल' से मुख्य शीर्ष '0070-अन्य प्रशासनिक सेवा'- 60 'अन्य सेवाएं' - 121- 'आपदा प्रबंधन के लिए व्यक्तियों/संस्थान' से अनुदान/अंशदान।

प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी की व्यवस्था

6. गृह मंत्रालय चक्रवात, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, भूस्खलन, हिमस्खलन और बादल फटने से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं की निगरानी के लिए उचित व्यवस्था करेगा। कृषि एवं सहकारिता विभाग सूखे, ओलावृष्टि, कीटों के हमले और शीत लहर/ठंड से जुड़ी आपदाओं की निगरानी के लिए उचित व्यवस्था करेगा।

एनडीआरएफ से राहत सहायता का आकलन

7.1 किसी ऐसे राज्य द्वारा किए गए अनुरोध पर, जिसके राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) में पर्याप्त शेष राशि नहीं है, और उसकी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की क्षमता नहीं है, गृह मंत्रालय या कृषि मंत्रालय, जैसी भी स्थिति हो, यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य सरकार ने अपना ज्ञापन भारत सरकार द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों/प्रारूपों के अनुरूप प्रस्तुत किया है, जिसमें धन की अतिरिक्त आवश्यकता के उचित औचित्य के साथ क्षेत्र/वस्तु-वार क्षति को दर्शाया गया है, और यह आकलन करेगा कि क्या एनडीआरएफ से अतिरिक्त सहायता का मामला इन दिशानिर्देशों के तहत बनाया गया है और इसे एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के तहत सहायता के मदों और मानदंडों के अनुसार अनुमोदित किया गया है। हालांकि, यह 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अधीन होगा। ऐसा आकलन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

(i) 'गंभीर प्रकृति' की प्राकृतिक आपदा के बाद गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा तुरंत एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) का गठन किया जाएगा, जो राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा ताकि हुए नुकसान और राज्य प्रशासन द्वारा किए गए राहत कार्यों का प्रत्यक्ष मूल्यांकन किया जा सके। एनडीआरएफ से अतिरिक्त निधियों के आवंटन के लिए अंतिम सिफारिशें करने के लिए, आईएमसीटी ज्ञापन प्रस्तुत करने के बाद, मानवीय जरूरतों के अनुसार तत्काल/अस्थायी प्रकृति की कार्रवाई और राहत के विस्तृत मूल्यांकन के लिए, फिर से राज्य का दौरा कर सकता है।

(ii) एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के तहत व्यय की मदों और मानदंडों के अनुसार धन की संभावित आवश्यकता का आकलन करने के लिए राज्य सरकार के ज्ञापन की जांच की जाएगी। यदि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि मानदंडों के अनुसार राहत प्रदान करने के लिए राज्य के पास एसडीआरएफ में पर्याप्त धनराशि है, तो राज्य को तदनुसार सलाह दी जाएगी।

(iii) केंद्रीय टीम की रिपोर्ट की जांच डीएम अधिनियम, 2005 की धारा 9 के तहत गठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (एससी-एनईसी) की उप-समिति द्वारा की जाएगी। एससी-एनईसी सहायता और व्यय की सीमा का आकलन करेगी जिसे एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के मानदंडों के अनुसार एनडीआरएफ से वित्तपोषित किया जा सकता है, और सिफारिशें करेगी।

(iv) एससी-एनईसी की सिफारिशों के आधार पर, एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) एनडीआरएफ से जारी की जाने वाली अतिरिक्त राहत की मात्रा को अनुमोदित करेगी।

(v) आपदा के दौरान राहत का पहला प्रभार एसडीआरएफ पर होना चाहिए। इसलिए, एनडीआरएफ से अतिरिक्त सहायता जारी करना वित्तीय वर्ष, जिसमें आपदा हुई, के 1 अप्रैल को एसडीआरएफ में उपलब्ध शेष राशि के 50% के समायोजन के अधीन होगा।

7.2. एनडीआरएफ से अतिरिक्त सहायता राज्य सरकार को 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और व्यय के मानदंडों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

उच्च स्तरीय समिति

8. गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति, जिसमें वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, और उपाध्यक्ष - नीति आयोग सदस्य के रूप में शामिल होंगे, को गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रभाग द्वारा सेवा प्रदान की जाएगी।

गृह मंत्रालय पर्यवेक्षण करेगा

9. गृह मंत्रालय एनडीआरएफ से जारी निधि के उपयोग पर नजर रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इस निधि का उपयोग उस प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए उसे जारी किया गया है तथा एनडीआरएफ के दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करेगा। राज्यों को इस संबंध में अनुलग्नक-II के अनुसार गृह मंत्रालय और व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को आवश्यक जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होगी।

एनडीआरएफ से अस्वीकार्य सहायता

10. एनडीआरएफ से होने वाला व्यय गंभीर आपदा के उन मामलों में अस्थायी प्रकृति की तत्काल राहत प्रदान करने के लिए राज्य की सहायता करने के लिए है, जहां आवश्यक व्यय राज्य के एसडीआरएफ में शेष राशि से अधिक है। रिकवरी और पुनर्निर्माण तथा तैयारी और क्षमता निर्माण विंडो के तहत प्रदान किए गए व्यय को छोड़कर स्थायी प्रकृति की दीर्घकालिक गतिविधियों की आपदा तैयारी, बहाली, पुनर्निर्माण और शमन पर व्यय एसडीआरएफ/एनडीआरएफ का हिस्सा नहीं होना चाहिए और इसे सामान्य बजटीय शीर्ष/संबंधित योजना/राज्य योजना निधि आदि से पूरा किया जाना चाहिए।

राज्यों को जारी सहायता

11.1 एचएलसी के अनुमोदन पर, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर एनडीआरएफ से राज्यों को सहायता जारी करेगा।

11.2 एनडीआरएफ से अतिरिक्त वित्तीय सहायता राज्य सरकार द्वारा स्व-प्रमाणन प्राप्त होने पर जारी की जाएगी कि एसडीआरएफ दिशानिर्देशों के पैरा 4 से 11 में उल्लिखित लेखांकन प्रक्रिया की व्यवस्था और अन्य शर्तें 15वें वित्त आयोग की निर्धारित अवधि के दौरान जारी रहेंगी।इन लेखांकन प्रणालियों से किसी भी विचलन के परिणामस्वरूप आवश्यक लेखांकन प्रक्रिया को अपनाए जाने या बहाल होने तक आगे की रिलीज को रोक दिया जाएगा।

11.3 एनडीआरएफ से केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को सहायता अनुदान के रूप में सहायता "8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि-125 राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि" शीर्ष के अंतर्गत लोक लेखा में रखी गई निधि से वसूली के रूप में दर्शाई गई समतुल्य राशि के साथ शीर्ष "2245 - प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत - 80- सामान्य - 103 - राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से राज्यों को सहायता" से जारी की जाएगी। एनडीआरएफ से वसूल की गई राशि को अनुदान की मांग संख्या 40 में लाइन रिकवरी के रूप में दिखाया जाएगा।

11.4 एनडीआरएफ से धनराशि प्राप्त होने पर, राज्य सरकार उन्हें मुख्य शीर्ष "1601-केंद्र सरकार से सहायता अनुदान-08 राज्य/ विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान - 106 राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) में अंशदान के लिए अनुदान, संबंधी प्राप्तियों सहित प्राप्तियां मानेगी। राज्य सरकार मुख्य शीर्ष "2245 - प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत" के तहत बजट के व्यय पक्ष पर संबंधित लघु शीर्षों के अंतर्गत उपयुक्त बजट प्रावधान करेगी।

11.5 उपर्युक्त पैरा 11.1 के अनुसार सहायता अनुदान/वित्तीय सहायता के केन्द्रीय अंश की प्राप्ति के तुरंत बाद, राज्य सरकार राशि प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर संबंधित लोक लेखा शीर्ष को राशि अंतरित कर देगी, बशर्ते कि वह पहले अंतरित न की गई हो। किसी भी देरी के लिए राज्य सरकार को देरी के दिनों की संख्या के लिए, आरबीआई की बैंक दर पर ब्याज के साथ राशि जारी करने की आवश्यकता होगी।

11.6 राज्य के एसडीआरएफ खाते को निधि में प्राप्तियों के शेष चार स्रोतों के अलावा एनडीआरएफ से सहायता की प्राप्ति को स्पष्ट रूप से दिखाना चाहिए; अर्थात् (i) राज्य आपदा मोचन निधि का केन्द्रीय हिस्सा (ii) राज्य आपदा मोचन निधि का राज्य का हिस्सा (iii) निवेश पर रिटर्न और (iv) निवेश का मोचन। राज्य सरकार को व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय को जारी आदेश की प्रति पृष्ठांकित करना आवश्यक है।

11.7 एनडीआरएफ से वास्तविक व्यय को संबंधित मुख्य शीर्ष 2245 के अंतर्गत लघु शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों द्वारा लोक लेखा से प्रत्यक्ष व्यय नहीं किया जाना चाहिए। यदि किसी प्रशासनिक कारण से, राज्य सरकारों द्वारा राहत पर व्यय एमएच: 2245 के सिवाय अन्य खाते के तहत पूरा किया गया है, तो इसे अंत में एमएच: 2245 के तहत अंतर-खाता हस्तांतरण के माध्यम से बुक किया जाना चाहिए। इस लेखांकन पद्धति से विचलन के कारण एनडीआरएफ से राज्यों को सहायता तब तक रोकी जा सकती है जब तक कि उपरोक्त लेखांकन प्रक्रिया को अपनाया नहीं जाता। राज्य महालेखाकार राज्य स्तर पर इन निर्धारित लेखा पद्धतियों के अनुपालन की उचित रूप से समीक्षा कर सकते हैं।

11.8 व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, संबंधित राज्य सरकारों को भुगतान जारी करेगा।

11.9 जब भी किसी राज्य के एसडीआरएफ को एनडीआरएफ से अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान की जाती है, राज्य सरकार इस अनुदान को एसडीआरएफ में निधि की तरह मानेगी, जहां तक अंतरण और लेखाकरण का संबंध है। हालांकि, एनडीआरएफ के मामले में, राज्य सरकार इस तरह के अनुदान को जारी करने की तारीख से तीन महीने के भीतर गृह मंत्रालय और व्यय विभाग को एक विशिष्ट उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि प्राप्त राशि एसडीआरएफ में जमा की गई है और तत्काल आपदा के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुरूप अद्यतन व्यय विवरण हो। राज्य सरकार यह भी प्रमाणित करेगी कि एसडीआरएफ से आहरित धन (एनडीआरएफ सहायता के संबंध में) वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए निधियां जारी की गई हैं।

राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा निरीक्षण

12. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 20 के तहत राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य कार्यकारिणी समिति यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी कि:-

[(i) एसडीआरएफ से आहरित धन (एनडीआरएफ से केंद्रीय सहायता सहित) का वास्तव में उन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है जिसके लिए इसे जारी किया गया था और बाद में रिलीज, उपयोगिता प्रमाण पत्र पर निर्भर करेगा;

(ii) एनडीआरएफ के तहत अतिरिक्त सहायता के लिए उनका ज्ञापन वास्तविक रूप से भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुरूप है;

(iii) एसडीआरएफ खाते में राज्य के हिस्से का समय पर प्रेषण;

(iv) एनडीआरएफ के तहत प्राप्त निधियों में से किया गया व्यय एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के व्यय की मदों और मानदंडों के अनुसार है;

(v) निधि को अस्वीकार्य व्यय के लिए डायवर्ट नहीं किया गया है;

(vi) ऊपर पैरा 11.3 और 11.4 में लेखांकन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाता है;

(vii) सभी व्यक्तिगत लाभार्थी-उन्मुख सहायता लाभार्थी के बैंक खाते /पीएफएमएस के माध्यम से अनिवार्य रूप से/आवश्यक रूप से वितरित की जाती है। आईएमसीटी को लाभार्थियों का विवरण उपलब्ध कराया जाता है;

(viii) नकद, आवास और आजीविका सहायता का वितरण करते हुए, घर की महिला सदस्य पर ध्यान दिया गया है।

लेखा और लेखापरीक्षा

13.1 एनडीआरएफ के विस्तृत खातों का रखरखाव मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय के माध्यम से लेखा महानियंत्रक द्वारा किया जाएगा।

13.2 एनडीआरएफ दिशानिर्देशों के उद्देश्यों के संदर्भ में अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुरूप एनडीआरएफ के खातों की सालाना लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी। राज्य सरकार सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी।

13.3 एनडीआरएफ के संबंध में प्राप्तियों, व्यय और अंतिम शेष की स्थिति के बारे में खुलासा राज्य सरकार के वित्त खातों में एक अलग परिशिष्ट/पंक्ति के रूप में किया जाएगा। हालांकि, एसईसी सहायक खातों (आपदा-वार अधिसूचित) को इस तरह और विवरण में बनाए रखेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा महालेखाकार के परामर्श से आवश्यक समझा जाए।

बचत

14. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की सहमति से गृह मंत्रालय इन दिशानिर्देशों में तत्काल राहत प्रयासों के सुचारू संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक तरीके से संशोधन/आशोधन कर सकता है।

*****